

Ref. No. CGTMSE / 51

09 जून/June 09, 2023

क्रेडिट गारंटी योजना - I और II

Credit Guarantee Scheme - I & II

सीजीटीएमएसई की सभी सदस्य ऋणदात्री संस्थाएँ (एमएलआई)

All Member Lending Institutions (MLIs) of CGTMSE

परिपत्र संख्या 227/2023-24

Circular No.227/2023-24

महोदया / प्रिय महोदय, Madam / Dear Sir,

असम क्रेडिट गारंटी योजना (एसीजीएस)

Assam Credit Guarantee Scheme (ACGS)

हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि सीजीटीएमएसई ने असम राज्य सरकार के सहयोग से असम राज्य में स्थित एमएसई के लिए एक विशेष गारंटी योजना "असम क्रेडिट गारंटी योजना (एसीजीएस)" शुरू की है। इस योजना के तहत, ऋण सुविधाओं के लिए 75% - 85% गारंटी कवरेज सीजीटीएमएसई द्वारा प्रदान किया जाएगा जोकि अब तक उधारकर्ता की श्रेणी पर निर्भर करता है और शेष 25% - 15% कवरेज असम सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा, जिससे समग्र गारंटी कवरेज 100% तक हो जाएगा। संबंधित एमएलआई के दावों का निपटान क्रिस्टलीकृत पोर्टफोलियो के अधिकतम 10% एनपीए स्तर तक किया जाएगा (पोर्टफोलियो को हर वित्तीय वर्ष में क्रिस्टलीकृत किया जाएगा)। यदि एनपीए स्तर उपरोक्त सीमा से अधिक हो जाता है, तो सीजीटीएमएसई अपने हिस्से यानी 75% - 85% की वचन बद्धता को पूरा करेगा।

We are pleased to inform that CGTMSE in collaboration with State Government of Assam, has launched a special guarantee scheme "Assam Credit Guarantee Scheme (ACGS)" for the MSEs situated in the State of Assam. Under the Scheme, 75% - 85% of the guarantee coverage for a credit facilities will be provided by CGTMSE as hitherto depending upon the category of the borrower and balance 25% - 15% coverage shall be provided by Government of Assam, taking the overall guarantee coverage to 100%.



Claims of the respective MLI will be settled maximum upto 10% NPA level of crystallized portfolio (portfolio will be crystallized every FY). In case the NPA level exceeds the above limit, CGTMSE will honour its share i.e 75% - 85%.

यह योजना 01 अप्रैल, 2023 से प्रभावी हो गई है। सभी मौजूदा एमएलआई एसीजीएस के तहत पात्र होंगे। 100% गारंटी कवरेज के अलावा, क्रेडिट गारंटी योजनाओं (बैंकों के लिए सीजीएस - I और एनबीएफसी के लिए सीजीएस - II) के अन्य सभी नियम और शर्तें, आवश्यक परिवर्तनों के साथ, एसीजीएस के तहत लागू होंगी।

The Scheme is made effective from April 01, 2023. All the existing MLIs shall be eligible under ACGS. Apart from 100% guarantee coverage, all other terms and conditions of the Credit Guarantee Schemes (CGS – I for banks and CGS – II for NBFCs) shall be applicable, mutatis mutandis, under ACGS.

यह पहल असम राज्य में एमएसई की वित्तीय आवश्यकता को पूरा करने में सहायता करेगी। हम आशा करते हैं कि आप एसीजीएस को लोकप्रिय बनाएँ और यह सुनिश्चित करें कि योजना का लाभ उचित रूप से साकार हो।

This initiative will support meeting the financial need of MSEs in the State of Assam. We look forward to you for popularizing ACGS & ensuring that the benefit of the Scheme is properly actualized.

इस परिपत्र की विषय-वस्तु को असम राज्य में स्थित अपने सभी कार्यालयों को अवगत कराएँ।

The contents of this circular may please be brought to the notice of all your offices located in the State of Assam.

भवदीय Yours faithfully,

ह Sd/-

(एमएसआरके मूर्ति MSRK Murthy)
सहायक महाप्रबंधक/Asst General Manager